बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्याः–02 / स्था०प्र०आ०(सड़क)–21 / 2026 / 1188 / आ०प्र० पटना, दिनांक– 24-04-2026

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1418 दिनांक–17.04.2015 के द्वारा सामूहिक सड़क दुर्घटना को राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन व गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को राज्य आपदा रिस्पौंस फंड (SDRF) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई थी।

2. परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–4887 दिनांक–11.08.2021 के द्वारा बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली 2021 के तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु एवं गम्भीर रूप से घायल होने पर तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान किया गया था, जो दिनांक–15.09.2021 से प्रभावी था। तदालोक में आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3832 दिनांक–27.09.2021 के द्वारा विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा में से सामूहिक सड़क दुर्घटना को दिनांक–15.09.2021 के प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को पाँच लाख रुपये एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पचास हजार रुपये की मुआवजा राशि भुगतान करने का प्रावधान था, जिसे विलोपित कर दिया गया है। साथ ही, मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के द्वारा मुआवजा संबंधी वादों के निष्पादन में अपेक्षाकृत प्रक्रियात्मक विलम्ब होता है।

फलस्वरूप सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की ओर से त्वरित आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से सामूहिक सड़क दुर्घटना को पुनः राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल किए जाने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. अतः सामूहिक सड़क दुर्घटना को पुनः राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों व गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को राज्य आपदा रिस्पौंस फंड (SDRF) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जाएगा।

5. इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–22.04.2026 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।

6. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ० चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०(सड़क)—21 / 2026 / 1188 / आ०प्र० पटना, दिनांक— 24-04-2026

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०(सड़क)—21 / 2026 / 1188 / आ०प्र० पटना, दिनांक—24-04-2026

प्रतिलिपिः—माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव / पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०(सड़क)—21 / 2026 / 1188 / आ०प्र० पटना, दिनांक—24-04-2026

प्रतिलिपिः—सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०(सड़क)—21 / 2026 / 1188 / आ०प्र० पटना, दिनांक—24-04-2026

प्रतिलिपिः—सचिव, बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०(सड़क)—21 / 2026 / 1188 / आ०प्र० पटना, दिनांक—24-04-2026

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना की प्रति एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना गजट की सौ प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०(सड़क)—21 / 2026 / 1188 / आ०प्र० पटना, दिनांक—24-04-2026

प्रतिलिपिः—संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

24/4/26

सचिव